रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-836/2025/1411/22-2-2025-17(345)2022

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी गौरी शंकर (बन्दी संख्या-114/2018) पुत्र श्री बब्बन, पनेरा, थाना-महोना, जनपद-बस्ती वर्तमान जनपद-सिद्धार्थनगर का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-100/1984 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बस्ती के आदेश दिनांक 16.11.1985 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21.07.2017 द्वारा यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 24.05.2025 तक 07 वर्ष, 07 माह, 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 08 वर्ष 07 माह, 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

संख्या-836/2025/1411(1)/22-2-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।

3- पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर।

5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज को क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन नं0-21153/2024 गौरी शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के अन्तर्गत अवमाननावाद संख्या-2579/2025 गौरी शंकर बनाम श्री अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव, कारागार में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2025

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in